न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 15.10.2025

मुकदमा नम्बर 152/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/297
सूरजाराम पुत्र चूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी —

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र चूनाराम
2. अरविन्द पुत्र कुशलाराम
3. अशोक पुत्र कुशलाराम
4. विवेकानन्द पुत्र कुशलाराम
5. बजरंग पुत्र तेजाराम

जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. गुल्ली देवी पत्नी भागूराम जाति जाट निवासी धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

1. श्री गणेशाराम मेघवाल अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राजूराम जाखड़-अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ता 5।
4. श्री राधेश्याम दर्जी व प्रवीण पालीवाल अप्रार्थी संख्या 7।
5. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्यगण है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की पैतृक संयुक्त खातेदारी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 500 तादादी 8.4100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल तादादी 13.5900 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उपरोक्त खसरान भूमि में प्रार्थी का 169871/951300 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व अन्य सहखातेदारों के नाम अलग अलग हिस्सा पांति राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादगत खसरान भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी वर्षो से चली आ रही है। 1/ 7 हिस्से की खातेदार गोरांदेवी की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसानों को दावा में प्रतिवादी सं. 11 से 17 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वादगत खसरान भूमि संयुक्त खातेदारी में चली आने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सम्पूर्ण सुधार व विकास कार्य करवाकर ऋण आदि लेने में काफी असवुधिाओं का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण अलग अलग जगह के निवासीगण होने के कारण व अपने हिस्से पर काबिज नहीं होने के कारण वादगत भूमि का सहमति से खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

विभाजन नहीं हो पा रहा है व अप्रार्थी संख्या 1 तो येन केन प्रकारेण राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से की भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बिना खाता विभाजन करवाये विक्रय, हस्तान्तरण करने की फिराक में रहता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की स्थिति अब समाप्त हो चुकी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का परिवार काफी बड़ा हो गया है तथा सभी अब अलग अलग निवास करते है। प्रार्थी अपने हिस्से के खेतों को उपजाऊ बनाने हेतु सुधार कार्य करवाना चाहता है तथा अपने हिस्से में सुधार कार्य करवाकर वादगत खेतों में अपने हिस्से पर के.सी.सी. आदि बनाकर बैंक से ऋण लेना चाहता है, अपने हिस्से में ट्यूब वैल व विद्युत कनेक्शन लेना चाह्ता है जिसके लिए प्रार्थी को वादगत खेतों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार विभाजन करवाकर अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से दिनांक 27.11.2023 को निवेदन किया कि वो वादगत खेतों का बाई मिट्स एण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाकर प्रार्थी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवा देवें लेकिन अप्रार्थीगण ने वादगत खेतों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाने से मना कर दिया व प्रार्थी को धमकियां दी कि हम वादगत खेतों को तुम्हें काश्त तक नहीं करने देंगे व तुम्हारे हिस्से की राजस्व भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण कर तुम्हें तुम्हारे हिस्से की भूमि से बेदखल कर देंगे, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादगत खेतों के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादगत खेत प्रार्थी की पैतृक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होने से व प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चले आने से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । अप्रार्थीगण प्रार्थी को वादगत खेतों का विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना ही प्रार्थी को उसके हिस्से की राजस्व भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण करने, किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने व प्रार्थी को उनके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने की दिनांक 27.11.2023 को धमकियां दी गई है, अगर अप्रार्थीगण अपने गलत मन्सूबों में सफल हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, इस प्रकार अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 500 तादादी 8.4100 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल तादादी 13.5900 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ से प्रार्थी को किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं करें, कब्जा काश्त में किसी प्रकार से बाधा विघ्न नहीं डाले, विधिवत रूप से विभाजन करवायें वादगत खेतों को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें ना ही अप्रार्थीगण ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो । अप्रार्थीगण तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कियाजा जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस करतें हुए कथन किया कि की वादगत खसरान भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्से राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज चले आ रहे है परन्तु मुझ अप्रार्थी ने वादगत खेत खसरा नम्बर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर भूमि में वर्णित अपने 2/7 हिस्सा की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2023 को श्रीमती गुल्लीदेवी पत्नी भागूराम जाति जाट निवासी धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ को विक्रय कर दी थी जिसकी जानकारी दावा दायरी के समय प्रार्थी को थी परन्तु प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् को मुगालता में रखते हुए क्रेता गुल्लीदेवी को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज फरमाये जाने योग्य है। वादगत खसरान भूमि का मौका पर आपसी मौखिक हिस्सा पांति व बंटवारा किया हुआ है । मुताबिक हिस्सा पांति व बंटवारा के खसरा नम्बर 771 में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से पांति में उतरी तरफ का हिस्सा आया हुआ है तथा इस खेत में पूर्वी तरफ का हिस्सा कुशलाराम के वारिसान का व दक्षिणी मध्य वादी सूरजाराम के हिस्से में व पश्चिमी तरफ का बजरंग पुत्र तेजाराम का हिस्सा है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 500 में उतरी मध्य का हिस्सा मुझ अप्रार्थी के हिस्से पांति में आया हुआ है तथा इस खेत के उतरी पूर्वी, कोने का कुशलाराम के वारिसान का तथा दक्षिणी तरफ का प्रार्थी के हिस्से में तथा पश्चिमी तरफ का हिस्सा बजरंग पुत्र तेजाराम के हिस्से पांति में आया हुआ है इसी अनुसार आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी मौका पर काबिजानुसार विभाजन नहीं करवाना चाहता है और गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है। परिवार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाये सबके हिस्से तय होते है तथा अपने हिस्सेनुसार काबिज भी होते है। प्रार्थी अपने हिस्से में सुधार कार्य करवाये अथवा ऋणादि लेवे, ट्यूब वैल बनावे तो मुझ प्रार्थी को कोई उजर आपति नहीं है। वादगत खेतों का पहले से आपसी सहमति के आधार पर विभाजन हो रखा है, प्रार्थी अगर मौका पर काबिजानुसार विभाजन करवाये तो मुझ अप्रार्थी को कोई उजर आपति नहीं होगी। खसरा नम्बर 771 में मुझ अप्रार्थी ने अपने 2/7 हिस्सा को पहले ही गुल्लीदेवी पत्नी भागूराम जाट निवासी धनेरू को विक्रय की जा चुकी है व कब्जा काश्त मौके पर गुल्लीदेवी को सुपुर्द किया जा चुका है। वादगत खेतों के सम्बन्ध में जब पहले से आपसी सहमति से विभाजन हो रखा है तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण [illegible] 27.11.2023 को विभाजन हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कराने निवेदन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी दिनांक 27.11.2023 को मुझ अप्रार्थी से नहीं मिला ना ही किसी प्रकार की कोई बात चीत ही हुई ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार से कोई धमकियां दी गई। प्रार्थी ने इस मद में सारे तथ्य मात्र वाद रचना हेतु अंकित किए है। प्रार्थी को वादगत खेतों के संयुक्त खातेदारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकार नहीं है । वादगत खेतों में सभी संयुक्त खातेदार का प्रत्येक इन्च पर समान रूप से हक हिस्सा होता है परन्तु वादगत खेतों के सम्बन्ध में सहखातेदारों द्वारा आपसी हिस्सा पांति व मौखिक बंटवारा भी कर रखा है और आपसी बंटवारे के अनुसार काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है व ना ही प्रार्थी को किसी भी प्रकार से कोई अपूरणीय क्षति ही हो रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत हुआ है जो इसी स्टेज पर काबिले खारिज है । वादगत खेत खसरा नम्बर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 500 तादादी 8.4100 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू में मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का 2/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुझ अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 771 में वर्णित अपने 2/7 हिस्सा की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2023 को श्रीमती गुल्लीदेवी पत्नी भागूराम जाति जाट, निवासी धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ को विक्रय कर दी थी जिसकी जानकारी दावा दायरी के समय प्रार्थी को भी थी । खसरा नम्बर 771 में अब मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं है । उक्त खसरा भूमि में मुझ अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की हद तक अब कब्जा काश्त गुल्लीदेवी जाट का है । गुल्लीदेवी जाट को प्रार्थी ने पक्षकार संयोजित नहीं किया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं है। वादगत खसरान भूमि का मौका पर आपसी हिस्सा पांति व बंटवारा किया हुआ है जिसका समुचित विवरण जबाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दिया जा चुका है। प्रार्थी मौका पर काबिजानुसार विभाजन नहीं करवाना चाहता है, अगर प्रार्थी मौका पर काबिजानुसार विभाजन करवाये तो मुझ अप्रार्थी को कोई उजर आपति नहीं होगी । वादगत खसरान भूमि के सम्बन्ध में आज तक कोई विवाद नहीं रहा है। प्रार्थी अकारण ही विवाद की स्थिति पैदा कर रहा है। वादगत खेतों में मौका पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपसी सहमति से काबिज है, प्रार्थी ने अपने हिस्से की जानबूझकर सही स्थिति प्रकट नहीं की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत होने से काबिले खारिज है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के सर्मथन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू के न्यायिक दृष्टान्त 2023(2) आरआरटी 1090 शिवराज बनाम घनश्याम वगै. पृष्ठ संख्या 1090 से 1094, 2023(1) आरआरटी 656 ज्ञानीराम बनाम विक्रम सिंह वगै. पृष्ठ संख्या 657 से 659, 2022(1) आरआरटी 248 सलमा बनाम रूस्तम खान पृष्ठ संख्या 249 से 251 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि हम अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 उपरोक्त कृषि भूमि पर अपने-अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहे है। वादगत खसरान की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्से राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज चले आ रहे है। हम अप्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर अपने–अपने हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहे है। वादगत खसरान की भूमि प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी वर्षो से चली आने बाबत इनकारी नही हैं। मुताबिक हिस्सा पांति व बंटवारा अनुसार खसरा नम्बर 771 में हम अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 का हिस्सा पांति में उतरी तरफ का हिस्सा आया हुआ है। जिस पर हम अप्रार्थीगण कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग कर रहे है। बंजरग का हिस्सा खसरा नम्बर 771 में पूर्वी दिशा में हिस्सा पांति आये हुये है। मौके पर हम अप्रार्थीगण ही कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहे है। हम अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 से प्रार्थी दिनांक 27.11.2023 को खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बातचीत हुई थी। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 रामेश्वरलाल से प्रार्थी ने सम्पर्क किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना विभाजन करवाऐ ही उपरोक्त कृषि भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरण करने बाबत इन्कारी नही है। हम अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 को कोई उजर आपति नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का खेत खसरा नम्बर 500 तादादी 8.4100 हैक्टेयर में अपना 1/56 हिस्सा की कृषि भूमि व खेत खसरा नम्बर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर में से 1/56 हिस्सा की कृषि भूमि पर उतर मध्य की भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहे है । अप्रार्थी संख्या 5 बंजरग उपरोक्त खसरा नम्बर 500 तादादी 8.4100 हैक्टेयर में से 169871/951300 हिस्सा की भूमि पश्चिम दिशा पर कब्जा काश्त व खेत खसरा नम्बर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर में अपना हिस्सा 169871/951300 हिस्सा की कृषि भूमि पूर्वी दिशा पर कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग कर रहे है।

अप्रार्थी संख्या 7 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि वादगत खसरान भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्से राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज चले आ रहे है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर भूमि में वर्णित अपने 2/7 हिस्सा की भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2023 को मुझ अप्रार्थिनी संख्या 7 को विक्रय कर दी थी जिसकी जानकारी दावा दायरी के समय प्रार्थी को थी परन्तु प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् को मुगालता में रखतें हुए मुझ अप्रार्थिनी को पक्षकार नहीं बनाया है । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबाब दावा व जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय श्रीमान् की अनुमति से मुझ अप्रार्थिनी को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत हुआ है जो इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। वादगत खसरान भूमि का मौका पर आपसी मौखिक हिस्सा पांति व बंटवारा किया हुआ है । मुताबिक हिस्सा पांति व बंटवारा के खसरा नम्बर 771 में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से पांति में उतरी तरफ का हिस्सा आया हुआ था जिसको अप्रार्थी संख्या 1 ने मुझ अप्रार्थिनी संख्या 7 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय किया था और मौके पर कब्जा मुझ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अप्रार्थिनी को संभलाया गया है। प्रार्थी मौका पर काबिजानुसार विभाजन नहीं करवाना चाहता है और गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है। परिवार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाये सबके हिस्से तय होते है तथा अपने हिस्सेनुसार काबिज भी होते है। प्रार्थी अपने हिस्से में सुधार कार्य करवाये अथवा ऋणादि लेवे, ट्यूब वैल बनावे तो मुझ अप्रार्थिनी संख्या 7 को कोई उजर आपति नहीं है। वादगत खेतों का पहले से आपसी सहमति के आधार पर विभाजन हो रखा है, प्रार्थी अगर मौका पर काबिजानुसार विभाजन करवाये तो मुझ अप्रार्थिनी को कोई उजर आपति नहीं होगी । खसरा नम्बर 771 में अप्रार्थी संख्या 1 के उतरी तरफ के 2/7 हिस्सा को मुझ अप्रार्थिनी संख्या 7 ने खरीद किया है व कब्जा काश्त मौके पर मुझ अप्रार्थिनी संख्या 7 का चला आ रहा है। वादगत खेतों के सम्बन्ध में जब पहले से आपसी सहमति से विभाजन हो रखा है तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से दिनांक 27.11.2023 को विभाजन हेतु कराने निवेदन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी दिनांक 27.11.2023 को मुझ अप्रार्थिनी संख्या 7 से नहीं मिला ना ही किसी प्रकार की कोई बात चीत ही हुई ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार से कोई धमकियां दी गई। प्रार्थी ने मद में सारे तथ्य मात्र वाद रचना हेतु अंकित किए है। प्रार्थी को वादगत खेतों के संयुक्त खातेदारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकार नहीं है। वादगत खेतों में सभी संयुक्त खातेदार का प्रत्येक इन्च पर समान रूप से हक हिस्सा होता है परन्तु वादगत खेतों के सम्बन्ध में सहखातेदारों द्वारा आपसी हिस्सा पांति व मौखिक बंटवारा भी कर रखा है और आपसी बंटवारे के अनुसार काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है व ना ही प्रार्थी को किसी भी प्रकार से कोई अपूरणीय क्षति ही हो रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत हुआ है जो इसी स्टेज पर काबिले खारिज है। वादगत खेत खसरा नम्बर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 500 तादादी 8.4100 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू में अप्रार्थी संख्या 1 का 2/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 771 में वर्णित अपने 2/7 हिस्सा की भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2023 को मुझ अप्रार्थिनी संख्या 7 को विक्रय कर दी थी जिसकी जानकारी दावा दायरी के समय प्रार्थी को भी थी। खसरा नम्बर 771 में अब अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं है । उक्त खसरा भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की हद तक अब कब्जा काश्त मुझ अप्रार्थिनी संख्या 7 का चला आ रहा है । प्रार्थी ने मात्र ऑन लाईन दर्ज मुटेशन की कार्यवाही को रूकवाने के लिए ही उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में गलत आधारों पर पेश किया है। प्रार्थी ने विक्रय पत्र को चौलेज नहीं किया इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं है। वादगत खसरान भूमि का मौका पर आपसी हिस्सा पांति व बंटवारा किया हुआ है जिसका समुचित विवरण जबाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दिया जा चुका है। प्रार्थी मौका पर काबिजानुसार विभाजन नहीं करवाना चाहता है, अगर प्रार्थी मौका पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

काबिजानुसार विभाजन करवाये तो मुझ अप्रार्थिनी सं. 7 को कोई उजर आपति नहीं होगी। वादगत खसरान भूमि के सम्बन्ध में आज तक कोई विवाद नहीं रहा है। प्रार्थी अकारण ही विवाद की स्थिति पैदा कर रहा है। वादगत खेतों में मौका पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपसी सहमति से काबिज है, प्रार्थी ने अपने हिस्से की जानबूझकर सही स्थिति प्रकट नहीं की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत होने से काबिले खारिज है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया। वादगत खसरान भूमि खसरा नंबर 500 तादादी 8.41 हैक्टेयर व खसरा नंबर 771 तादादी 5.18 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त पैतृक कृषि भूमि है। वादगत खसरान की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्से राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज चले आ रहे है। उक्त खसरान भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर भूमि में वर्णित अपने 2/7 हिस्सा की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2023 को अप्रार्थी संख्या 07 को विक्रय कर दी थी एवं अप्रार्थी संख्या 7 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के अप्रार्थी संख्या 01 से खरीद किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नंबर 771 तादादी 5.1800 हैक्टेयर में से अपने 2/7 हिस्सा भूमि को दावा दायरी से पूर्व अप्रार्थी संख्या 7 को दिनांक 17.11.2023 विक्रय किया गया है। विक्रय पत्र दावा दायरी से पहले का है अर्थात विक्रय के समय किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने 2/7 हिस्सा भूमि को अप्रार्थी संख्या 7 को विक्रय किये जाने के पश्चात कब्जा सुपुर्द किया जाना अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 7 सद्भावी क्रेता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज है एवं रिकार्डेड खातेदार है। जहां तक प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनो बिदुंओ का प्रश्न है, उक्त तीनों बिंदु अप्रार्थी के पक्ष में ही है। खातेदारी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:08 IST
Reason: SelfAttested